न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

मु.न.– 343/2018

रामसिंह पुत्र आदराम जाति जाट साकिन मताणी तहसील सिवानी जिला भिवानी (हरियाणा)।

– वादी –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

– प्रतिवादी –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय दिनांक 19/03/25

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा चंगोई के खसरा सं. 542 तादादी 6 बीघा 16 बिश्वा, खसरा नं. 547 तादादी 17 बीघा 17 बिश्वा कुल आराजी 24 बीघा 13 बिश्वा वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रामचन्द्र पुत्र आदराम अंकित है। वादी का कथन है कि आधार कार्ड, पहचान–पत्र तथा अन्य दस्तावेजों में नाम रामसिंह पुत्र आदराम है। वादी जमांबदी में अपना नाम रामचन्द्र पुत्र आदराम के स्थान पर रामसिंह पुत्र आदराम करवाने का निवेदन किया है। नाम में भिन्नता होने के कारण वादी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब वादी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए वाद पेश कर रहा है। अतः कृषि भूमि रोही मौजा चंगोई के खसरा सं. 542 तादादी 6 बीघा 16 बिश्वा, खसरा नं. 547 तादादी 17 बीघा 17 बिश्वा कुल आराजी 24 बीघा 13 बिश्वा में वादी का नाम रामसिंह पुत्र आदराम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें वादी का वर्तमान निवास स्थान तहसील सिवानी जिला भिवानी (हरियाणा) का बताया गया। तहसीलदार सिवानी (हरियाणा) से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार सिवानी से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें दस्तावेज नाम रामसिंह पुत्र आदराम होना अंकित किया है तथा नम्बरदार/स. नम्बरदार ग्राम पंचायत मतानी तह. सिवानी के पत्र सें वादी का नाम रामसिंह पुत्र आदराम सही होना पाया गया। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण को कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सिवानी (हरियाणा) की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान–पत्र से वादी का नाम रामसिंह पुत्र आदराम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में रामचन्द्र पुत्र आदराम नाम अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा चंगोई के खसरा सं. 542 तादादी 6 बीघा 16 बिश्वा, खसरा नं. 547 तादादी 17 बीघा 17 बिश्वा कुल आराजी 24 बीघा 13 बिश्वा के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज **रामचन्द्र पुत्र आदराम** Delete कर इसके स्थान पर **रामसिंह पुत्र आदराम** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/03/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)